भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2447
दिनांक 13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अतिरिक्त एमबीबीएस और एमडी/एमएस सीटें

† 2447. श्री जगदम्बिका पाल:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान स्वीकृत तथा भरी गई अतिरिक्त एमबीबीएस और एमडी/एमएस सीटों की संख्या कितनी है, जिनमें 10,023 नवस्वीकृत सीटें भी सम्मिलित हैं, तथा इन सीटों का सरकारी एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के बीच वर्ष-वार वितरण किस प्रकार किया गया है;
(ख) चिकित्सा सीटों के विस्तार से प्रत्येक राज्य के डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ा है और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में जिला-वार स्थिति के संदर्भ में कोई आकलन अथवा मूल्यांकन उपलब्ध है;
(ग) क्या देश में घरेलू चिकित्सा सीटों में वृद्धि से छात्रों की विदेश में चिकित्सा अध्ययन पर निर्भरता में कमी आई है और यदि हाँ, तो इस प्रवृत्ति के समर्थन में क्या प्रमाण उपलब्ध हैं; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक देश में एमबीबीएस की 48,563 सीटें और स्नातकोत्तर की 29,080 सीटें बढ़ाई गई हैं। एमबीबीएस और स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक सरकारी कॉलेजों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत 10,023 मेडिकल सीटों को बढ़ाने की मंजूरी दी है।

चिकित्सा सीटों के विस्तार से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी दूर होती है, विशेष रूप से अल्पसेवित क्षेत्रों में, और इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात पर पड़ता है। चिकित्सा सीटों की बढ़ती संख्या, बुनियादी ढांचे और संकाय में सुधार के साथ मिलकर, भारतीय

छात्रों के लिए घरेलू संस्थानों तक पहुंच को आसान बना दिया है।

चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सर्वोच्च नियामक निकाय के रूप में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने विभिन्न विनियम अधिसूचित किए हैं, जिनमें न्यूनतम मानक आवश्यकता (एमएसआर), स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम (जीएमईआर), 2023, चिकित्सा शिक्षा मानकों का रखरखाव विनियम, 2023 (एमएसएमईआर-2023) और योग्यता-आधारित चिकित्सा शिक्षा (सीबीएमई) पाठ्यक्रम दिशानिर्देश 2024 शामिल हैं। इनका उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा में निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करना है। ये विनियम देश भर में चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण की अखंडता और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं।

******

लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2447 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक, जिसका उत्तर दिनांक 13.02.2026 को दिया जाना है।

अनुलग्नक

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक एमबीबीएस सीटों की संख्या

क्र.सं.	शैक्षणिक वर्ष	एमबीबीएस सीटों में वृद्धि
1	2020-21	2963
2	2021-22	8790
3	2022-23	7398
4	2023-24	9652
5	2024-25	8641
6	2025-26	11119

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक स्नातकोत्तर सीटों की संख्या

क्र.सं.	शैक्षणिक वर्ष	पीजी सीटों में वृद्धि
1	2020-21	4983
2	2021-22	4705
3	2022-23	2874
4	2023-24	4713
5	2024-25	4186
6	2025-26	7619